

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

348

क्रमांक एफ.4(ई)(1)/(127/88)/अलेसे -III/

दिनांक :-

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर में कार्यरत रहने के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 15.11.2002 के द्वारा निलम्बित किया गया था तथा उक्त प्रकरण में अपराध संख्या 359/2002 दर्ज होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 19268-269 दिनांक 04.11.2004 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी। निलम्बन से बहाली के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की समीक्षा बैठक दिनांक 20.01.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विभागीय आदेश 26.04.2012 के द्वारा श्री आसोपा को बहाल किया गया। जिसकी पालना में नवपदस्थापन कार्यालय में 06.07.2012 को कार्यग्रहण किया। इस प्रकार श्री राजेन्द्र आसोपा दिनांक 15.11.2002 से 05.07.2012 तक निलम्बित रहे।

माननीय सेशन न्यायालय भ्र.नि.अधि. बीकानेर के निर्णय दिनांक 12.09.2012 के द्वारा श्री आसोपा को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः कार्मिक (क-3 जांच) विभाग के पत्रांक प.9(2)(5) कार्मिक/क-3/04 पार्ट-I दिनांक 24.10.2005 से प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन निलम्बन अवधि दिनांक 15.11.2002 से 05.07.2012 तक को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन अवधि के बकाया वेतन भत्ते (निर्वाह भत्ता घटाकर) भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

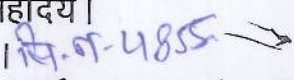
उक्त आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय में लम्बित अपील में लिये जाने वाले निर्णय के अध्यक्षीन जारी किये जाते हैं।

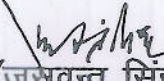

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)(1)/(127/88)/अलेसे -III/659-667

दिनांक :- 20-3-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (विधि)/जांच कार्यालय हाजा।
4. कोषाधिकारी, बीकानेर।
5. श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर को पालनार्थ।
6. बरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)। 
8. रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II कार्यालय हाजा।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)